रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032023-244757
CG-DL-E-29032023-244757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945
No. 191] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

India Code

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

सा.का.नि. 234(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्के का मूल्यवर्ग.-** "केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का हीरक जयंती वर्ष" के अवसर पर केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में केवल साठ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा ।

3. **सिक्के की विमा और संरचना.-** नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
साठ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु रजत - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.-** सिक्के का डिजाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार .- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

साठ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के अग्रभाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे "**सत्यमेव जयते**" लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में "**भारत**" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "**INDIA**" शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक "**₹**" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "**60**" भी होगा ।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का प्रतीक चिन्ह होगा । इस चिन्ह के ठीक नीचे अंग्रेजी में "**DIAMOND JUBILEE YEAR**" और इस के नीचे देवनागरी लिपि में "**हीरक जयंती वर्ष**" तथा इस के नीचे "**1963-2023**" लिखा होगा। सिक्के के उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "**केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**" लिखा होगा और सिक्के के निचली परिधि पर अंग्रेजी में "**CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION**" लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
साठ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा की वृद्धि या कमी अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/09/2023-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**.- **(**1) These rules may be called the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of "DIAMOND JUBILEE YEAR OF CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION") Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin**.- The coin of Sixty Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of "DIAMOND JUBILEE YEAR OF CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION".

3. **Dimension and composition of coin**.- The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Sixty Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

IndiaCode

4. **Design**.- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule of these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed**.- The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of DIAMOND JUBILEE YEAR OF CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

First Schedule

(See rule 4)

SIXTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend **"सत्यमेव जयते"** inscribed below, flanked on the left periphery with the word **"भारत"** in Devnagri script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "**₹**" and denominational value "**60**" in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear the logo of Central Bureau of Investigation in the centre of the coin. Exactly below this logo, the inscription in English "**DIAMOND JUBILEE YEAR"** and below this "**हीरक जयंती वर्ष**" shall be written in Devnagari script and below this "**1963- 2023**" shall be written. The inscription "**केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**" in Devnagari script shall be written on the upper periphery and the inscription "**CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION**" in English shall be written on the lower periphery of the coin.

Second Schedule

(See rule 5)

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Sixty Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/09/2023-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.